भायंदर सन

BHAYANDER SUN

PRGI No. : MHHIN/26/A2219 website : bhayandersun.co.in Email : bhayandersun@gmail.com

वर्ष : 1 * अंक : 9 * दि. 1 से 15 अक्टूबर 2026 * संपादक : संजय डी. राय * ठाणे * पृष्ठ : 4 * मूल्य : 5 रुपये

मीरा भाईंदर मनपा स्कूलों में 4 महीने बाद भी पानी की बोतलें अधूरी, टेंडर में गड़बड़ी और घटिया सामग्री के आरोप

मीरा भाईंदर मनपा के 31 स्कूलों में शैक्षणिक सत्र शुरू हुए करीब 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हजारों विद्यार्थियों को पानी की बोतलें नहीं मिल पाई हैं।

गणवेश, नोटबुक और शैक्षणिक सामग्री की आपूर्ति में देरी के बाद अब विद्यार्थियों की रोजमर्रा की जरूरत वाली पानी की बोतलों की आपूर्ति भी सवालों के घेरे में है। मनपा स्कूलों में करीब 9 हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें बड़ी संख्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की है।

मनपा की ओर से हर वर्ष विद्यार्थियों को मुफ्त गणवेश, जूते, शैक्षणिक सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बताया जा रहा है कि पानी की बोतलों की आपूर्ति का ठेका अप्रैल में ही निजी कंपनी को दिया गया था।

करीब 210 रुपये प्रति बोतल की दर तय होने की बात सामने आई है, बावजूद इसके सितंबर के अंत तक कई विद्यार्थियों को बोतलें नहीं मिली हैं।

टेंडर में स्टील का ढक्कन, सैंपल में प्लास्टिक

एड. कृष्णा गुप्ता के अनुसार, टेंडर स्पेसिफिकेशन में पानी की बोतल के लिए स्टील के ढक्कन की अनिवार्यता थी। आरोप है कि मीरा भाईंदर मनपा द्वारा नियुक्त ठेकेदार नवकार यूनिफॉर्म्स ने



इसके बजाय प्लास्टिक के ढक्कन वाली बोतलों के सैंपल जमा किए हैं। इससे टेंडर की शर्तों के पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

लड़कियों को लड़कों के जूते देने का आरोप

पानी की बोतलों के अलावा मीरा भाईंदर मनपा की ओर से वितरित जूतों को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं। अभिभावकों का आरोप है कि लड़कियों को उनकी जरूरत के अनुरूप अलग डिजाइन के जूते देने के बजाय लड़कों के जूते दिए गए।

कई विद्यार्थियों को जूतों के साथ आवश्यक मोजे भी नहीं मिलने की शिकायत है। अभिभावकों ने आरोपों की निष्पक्ष जांच के साथ टेंडर प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता, निर्धारित कीमत, वास्तविक आपूर्ति और ठेकेदार को किए गए भुगतान की जांच की मांग की है। साथ ही, वर्षों से एक ही कंपनी को ठेका दिए जाने की चर्चाओं की भी जांच की मांग उठ रही है।

नलों पर लग रही विद्यार्थियों की भीड़

अभिभावकों का कहना है कि स्कूल शुरू होने से पहले ही विद्यार्थियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो जानी चाहिए थी। बोतलें नहीं मिलने के कारण विद्यार्थियों को स्कूल के पानी के नलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, विशेषकर मध्यावकाश के दौरान नलों पर भीड़ की स्थिति बन रही है।

महाराष्ट्र SIR प्रक्रिया के खिलाफ HC में याचिका

2.10 करोड़ नाम हटने की आशंका पर 5 अक्टूबर को सुनवाई

मुंबई : महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में प्रक्रिया में कथित खामियों को दूर करने और पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने से रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की है।

नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा मामला

यह याचिका दो कारोबारियों की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि मामला नागरिकों के मताधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता है और इस पर न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है। पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की।

2.10 करोड़ नाम हटने का दावा

याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची से करीब 2.10 करोड़ नागरिकों के नाम हटाए जाने की आशंका है। यह याचिकाकर्ताओं की ओर से किया गया दावा है; इसे अंतिम रूप से हटाए गए मतदाताओं की संख्या के तौर पर नहीं माना जा सकता।

चुनाव आयोग के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक ड्राफ्ट सूची में करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के गणना फॉर्म एकत्र नहीं हो पाए थे, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसका अर्थ अंतिम रूप से नाम हटना नहीं है।

दस्तावेज मांगने पर भी उठे सवाल

याचिका में आरोप लगाया गया है कि SIR के लिए चुनाव आयोग के निर्देशों में गणना के दौरान दस्तावेज जमा कराने का प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा कुछ नागरिकों से समर्थन दस्तावेज मांगे जाने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने की मांग की है।

पात्र मतदाताओं के नाम न हटाने की मांग

याचिका में मांग की गई है कि केवल किसी संदेह या प्रक्रिया संबंधी कमी के आधार पर किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाए। इसके अलावा SIR की कार्यप्रणाली और उसके कानूनी आधार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा गलत तरीके से हटाए गए नामों को बहाल करने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की गई है।

5 अक्टूबर को होगी सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है। इसी बीच SIR से जुड़ी एक अलग याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर पीठ ने 22 अक्टूबर की तारीख तय की है। दोनों मामलों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और प्रक्रिया से जुड़ी अलग-अलग आपत्तियां उठाई गई हैं।

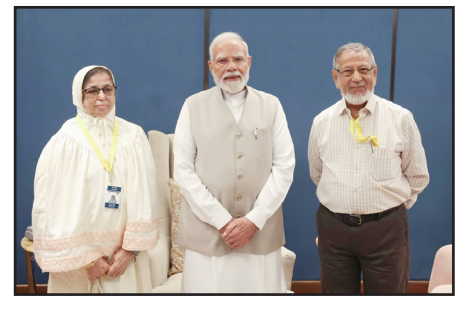
पीएम के दोस्त का जमीन विवाद : सिर्फ कागजों पर होगी कार्रवाई या ग्राउंड पर भी दिखेगा कोई एक्शन?

जिलाधिकारी द्वारा पुलिस आयुक्त को 2015 में दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर पर त्वरित कार्रवाई के आदेश!

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र असगर अली वोरा से जुड़े मीरा रोड के बहुचर्चित जमीन विवाद में एक बड़ा प्रशासनिक मोड़ आया है। ताजा घटनाक्रम के तहत, ठाणे के जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय को एक आधिकारिक पत्र जारी कर स्वयं डेवलपर्स उनके भागीदारों और इस पूरे सिंडिकेट के खिलाफ २०१५ में दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

ज्ञात हो कि राज्य सीआईडी की जांच में पहले ही यह पुष्टि हो चुकी है कि वोरा की जमीन को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया था। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद दबाव बढ़ता देख भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता की कंपनी 'सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स' ने सियासी चाल चलते हुए कागज पर तो अपना दावा छोड़ दिया, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी जस की तस बनी हुई है।

बुजुर्ग वोरा को अपनी ही जमीन का वास्तविक कब्जा आज तक नसीब नहीं हुआ है। हकीकत यह है कि मेहता की कंपनी ने कथित रूप से पीछे हटने का नाटक करते हुए जमीन पर मारवीन फर्नांडिस और मुकेश पारेख का नया मोर्चा खड़ा कर दिया है। जमीन पर रातों-रात 'मारवीन' का नया बोर्ड टांग दिया गया है, ताकि वोरा को कब्जा लेने से रोका जा सके। इस पूरे खेल में पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बावजूद स्वयं बिल्डर्स का अड़ियल रुख भी सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। वोरा ने १९८९ में भायंदर (पूर्व) के नवघर इलाके में लगभग २,८१० वर्ग मीटर जमीन कानूनी रूप से खरीदी थी। आरोप है कि साल २०११ में 'स्वयं बिल्डर्स' और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से इस जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। मूल मालिक को बिना भनक लगे इस जमीन को दो भागों में बांट दिया गया, जिसका आधा हिस्सा १,४०५ वर्ग मीटर स्वयं बिल्डर्स और बाकी का हिस्सा १,४०५ वर्ग मीटर सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन कंपनी के कब्जे में दिखा दिया गया था, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब सीआईडी की रिपोर्ट में जालसाजी साफ हो चुकी है और खुद कलेक्टर का आदेश आ चुका है, तो पुलिस प्रशासन ग्राउंड पर जाकर स्वयं बिल्डर्स और मारवीन के इस अवैध कब्जे को कब हटाएगा? क्या ८१ वर्षीय असगर अली वोरा को इंसाफ सिर्फ सरकारी



फाइलों में मिलेगा या जमीन पर भी कोई असली एक्शन होगा? फिलहाल, तो वोरा की जमीन हड़पने के मामले में प्रशासन की कार्रवाई अब तक सिर्फ कागजों पर ही सिमटी नजर आ रही है।

कब हटेगा कथित कब्जा?

असगर अली वोरा की २,८१० वर्ग मीटर जमीन को लेकर विवाद में प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश के बावजूद जमीन पर वास्तविक कब्जे को लेकर सवाल कायम है। वोरा का आरोप है कि कथित तौर पर नए नाम और बोर्ड के जरिए जमीन पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश हो रही है।



संपादकीय

महिला सुरक्षा का संकट

यह हमारे लोकतंत्र की विडंबना है कि कार्यपालिका की लचर कार्यशैली के चलते गाहे-बगाहे न्यायालय को उन मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिनका दायित्व निभाना सरकारों का काम है। वैसे कहने को तो पूरे देश में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिये तमाम कायदे-कानून बनाए गए हैं। लेकिन जब इन कानूनों व योजनाओं को हकीकत में अमलीजामा पहनाने की बात सामने आती है तो जवाबदेही का अंतर साफ नजर आता है। हाल के दिनों में दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म के मामलों पर स्वतः संज्ञान लेकर शीर्ष अदालत ने इस कड़वी हकीकत को उजागर कर दिया। इन मामलों में शीर्ष अदालत ने सिर्फ यही नहीं पूछा कि ये संगीन अपराध क्यों हुए, बल्कि यह भी जानना चाहा कि इन अपराधों को रोकने के लिये बनाया गया सिस्टम क्या हकीकत में कुछ काम करता है? कोर्ट का सवाल था कि क्या वास्तव में आपातकाल में मदद करने वाली हेल्पलाइन तुरंत जवाब देती है? क्या सीसीटीवी कैमरे पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं? क्या महिलाओं के लिये असुरक्षित समझी जाने वाली जगहों को पहचान करके वहां पेट्रोलिंग की जाती है? क्या महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिये बने डेटाबेस, महिलाओं के लिये हेल्प डेस्क और जांच करने में मददगार ट्रैकिंग सिस्टम का कारगर तरीके से प्रयोग हो रहा है? शीर्ष अदालत का यह सवाल तार्किक है कि जब ये सिस्टम फेल हो जाता है तो विफलता के लिये किसी की जवाबदेही तय की जाती है? निस्संदेह, अदालत ने तंत्र की दुखती रग पर हाथ रखा है। सही मायने में ये सवाल हर किसी को परेशान करने वाले हैं। यह हकीकत है कि देश में नये-नये सुरक्षा कार्यक्रमों की घोषणा करने, पोर्टल, हेल्पलाइन और कमेटियां बनाने में तो कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी समस्या के निस्तारण के लिये कोई सिस्टम या मैकेनिज्म बना देना ही कर्तव्यों की इतिश्री मान लिया जाए?

उल्लेखनीय है कि अक्सर आम लोगों द्वारा शिकायत की जाती रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होती, सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर इस बाबत की गई शिकायतें अक्सर फाइलों में उलझकर रह जाती हैं। कहने को ऐसे अपराधों को रोकने वाला सिस्टम फाइलों में तो दर्ज होता है, लेकिन जब वास्तव में किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत होती है, तो यह हमेशा की तरह नदारद मिलता है। ऐसे में देश की शीर्ष अदालत द्वारा सुरक्षा उपायों के ऑडिट, व्यवस्था की कमजोरियों की पहचान, किसी घटना के होने पर प्रतिक्रिया देने के समय और कार्यक्षमता के मूल्यांकन पर जोर देना, एक स्वागत योग्य कदम ही कहा जायेगा। सही मायने में ऐसे मामलों में सिर्फ पुलिस को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। ऐसे में सड़कों में स्ट्रीट लाइट न होने पर म्युनिसिपल एजेंसियां, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, प्रशासक, तकनीक उपलब्ध कराने वाले विभाग और न्याय व्यवस्था आदि सभी सुरक्षा श्रृंखला का हिस्सा हैं। निर्विवाद रूप से किसी भी एक स्तर पर विफलता के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया प्रकरण के चौदह साल बाद मिला यह सबक स्पष्ट करता है कि कानून और योजनाएं तो बस शुरुआत मात्र हैं। असली कसौटी तो उनके लागू होने में है। इस आलोक में किसी पार्क में जाने, बस में चढ़ने या घर पैदल जाने वाली किसी महिला को इस बात पर आशंकित नहीं होना चाहिए कि किसी संकट की स्थिति में सुरक्षा के लिये बना सिस्टम काम करेगा भी या नहीं। निस्संदेह, किसी भी नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। सही मायने में यही जवाबदेही ही उस जिम्मेदारी को हकीकत बनाती है। विश्वास किया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद शासन-प्रशासन महिला सुरक्षा की गंभीर चिंता को संवेदनशील ढंग से महसूस करेंगे। तभी संकट के समय महिलाएं आश्वस्त हो सकेंगी कि सिस्टम उनकी मदद के लिये तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए आगे आएगा।

घटती जन्म दर से उभरता चिंताजनक परिदृश्य

आर्थिक सलाकार परिषद ने जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को बंद करने और चीन की जनसंख्या नीति से सबक लेने की भी सिफारिश की है। हालिया 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6' के आंकड़े भी निम्न प्रजनन दर की स्थिति की ओर संकेत करते हैं।

हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने 'द घोस्ट ऑफ पॉपुलेशन पास्ट : हाउ पॉपुलेशन कंट्रोल परसिस्ट्स इन इंडिया' नामक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 रह गई है, जबकि आबादी को स्थिर रखने के लिए 2.1 की प्रजनन दर जरूरी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ दें तो राष्ट्रीय प्रजनन दर 1.6 रह जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति को देखते हुए अब जनसंख्या नियंत्रण को सरकारी नीति के मुख्य उद्देश्य के रूप में देखना प्रासंगिक नहीं है। साथ ही, परिवार नियोजन की नीतियों को स्वास्थ्य, बच्चों के बीच अंतर रखने और व्यक्ति की निजी पसंद के अनुरूप रखने की बात कही गई है। आर्थिक सलाहकार परिषद ने जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को बंद करने और चीन की जनसंख्या नीति से सबक लेने की भी सिफारिश की। हालिया 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6' के आंकड़े भी अलग-अलग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में निम्न प्रजनन दर की स्थिति की ओर संकेत करते हैं। अमूमन यह समझना सहज नहीं है कि आखिर यह प्रतिस्थापन स्तर (रिप्लेसमेंट लेवल) इतना महत्वपूर्ण क्यों है और मूल रूप से यह है क्या। इसके साथ ही स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न सहज उत्पन्न होगा कि 2.1 यानी एक महिला 2.1 बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? इसे समझने के लिए पहले प्रजनन दर और प्रतिस्थापन स्तर, दोनों को समझना होगा।

प्रजनन दर का सीधा अर्थ है कि एक महिला अपने प्रजनन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। वहीं, प्रतिस्थापन स्तर वह स्थिति है, जिसमें एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी से संख्या के स्तर पर लगभग स्वयं को प्रतिस्थापित कर सके। सामान्यतः कम मृत्यु दर वाली आबादी में यह स्तर 2.1 बच्चे प्रति महिला माना जाता है। यानी 2.1 का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक महिला के 2.1 बच्चे हों, बल्कि यह पूरी आबादी में महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए बच्चों का औसत है। यह स्तर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि प्रजनन दर लंबे समय तक इसके नीचे बनी रहती है तो आने वाली पीढ़ी का आकार धीरे-धीरे छोटा होने लगता है। इसका असर आगे चलकर आबादी की आयु संरचना तथा कार्यशील आबादी के आकार पर भी पड़ सकता है। ऐसे में जनसंख्या में एक संतुलन का होना महत्वपूर्ण हो जाता है।

हालांकि, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि भारत की आबादी अब अचानक घटने लगेगी। कम प्रजनन दर का प्रभाव कुल आबादी में दिखाई देने में कई दशक लग सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में बड़ी संख्या में युवा आबादी मौजूद है और जनसांख्यिकीय जड़त्व के कारण कुछ समय तक आबादी बढ़ती रह सकती है। लेकिन यदि प्रजनन दर लंबे समय तक इसी तरह प्रतिस्थापन स्तर (रिप्लेसमेंट लेवल) से नीचे बनी रहती है तो आगे चलकर आबादी के आकार के साथ-साथ उसकी आयु संरचना में भी बड़ा बदलाव आएगा।

एनएफएचएस-6 के हालिया आंकड़े इस बदलाव की गंभीरता को समझने का एक संकेत देते हैं। अंडमान-निकोबार में कुल प्रजनन दर 0.9 तक पहुंच गई है, जबकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी यह प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो आने वाले समय में भारत के सामने केवल आबादी के आकार का नहीं, बल्कि वृद्ध होती आबादी, घटती कार्यशील आबादी और बदलती सामाजिक संरचना का प्रश्न भी खड़ा होगा। इसलिए यह ऐसा विषय है, जिस पर भविष्य की स्थिति का इंतजार करने के बजाय अभी से गंभीर विचार-विमर्श की आवश्यकता है। आखिर प्रजनन दर में इस गिरावट के पीछे कारण क्या हैं? इसके कारणों को केवल जनसंख्या संबंधी आंकड़ों में तलाशना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे समाज में पिछले कुछ दशकों में आए उन बदलावों को समझना होगा, जिनका असर परिवार, विवाह, मातृत्व और बच्चों को लेकर हमारी सोच पर पड़ा है।

महिलाओं की शिक्षा इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा ने महिलाओं के सामने जीवन के विकल्पों का विस्तार किया है। उच्च शिक्षा, रोजगार और अपने भविष्य को लेकर निर्णय लेने की क्षमता ने महिलाओं के जीवन की प्राथमिकताओं को बदला है। विवाह और मां बनने का फैसला भी अब कई महिलाएं अपने जीवन की अन्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए लेने लगी हैं। लेकिन इसे केवल इस रूप में देखना उचित नहीं होगा कि महिलाओं के शिक्षित होने के कारण बच्चे कम हो गए। शिक्षा ने महिलाओं में अपने जीवन, करियर और भविष्य को लेकर आकांक्षाएं बढ़ाई हैं तथा परिवार और मातृत्व को लेकर निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत किया है। साथ ही, बच्चों की संख्या के बजाय उनके पालन-पोषण, शिक्षा और बेहतर भविष्य को महत्व देने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है।

ऐसे में प्रश्न केवल यह नहीं है कि महिलाओं की प्राथमिकताएं क्यों बदलीं, बल्कि यह भी है कि क्या परिवार और समाज ने महिलाओं के जीवन में आए इन बदलावों के अनुरूप स्वयं को बदला है? यही प्रश्न घटती प्रजनन दर को समझने के लिए आगे की चर्चा का आधार बनता है।

लेकिन महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता में आए इस बदलाव को उस सामाजिक संरचना से अलग करके नहीं देखा जा सकता, जिसमें परिवार और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लंबे समय से मुख्यतः महिलाओं से जुड़ी रही है। जब महिलाओं के जीवन की प्राथमिकताएं बदलीं, तब यह सवाल भी सामने आया कि क्या परिवार और कार्यस्थल की व्यवस्था भी उसी गति से बदली? क्या महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के साथ परिवार और मातृत्व की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वैसी ही सामाजिक और संस्थागत सहायता मिली?

पितृसत्तात्मक व्यवस्था में यह असंतुलन कई समाजों में विवाह और मातृत्व को लेकर नई पीढ़ी के निर्णयों को प्रभावित करता दिखाई देता है। समाजशास्त्री पीटर मैकडोनाल्ड की 'जेंडर इक्विटी थ्योरी' इस विरोधाभास को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार देती है। जब महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, लेकिन परिवार के भीतर बच्चों की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों का बंटवारा उसी गति से नहीं बदलता, तब उनके सामने काम और परिवार के बीच एक नया तनाव पैदा होता है। ऐसे में घटती प्रजनन दर को महिलाओं की बदलती आकांक्षाओं का परिणाम भर मानना अधूरा होगा; यह उस सामाजिक व्यवस्था का भी परिणाम हो सकती है, जो महिलाओं की नई भूमिका के साथ स्वयं को पूरी तरह बदल नहीं पाई। जनसंख्या को लेकर दुनिया की चिंता अब एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। 'ऑन द कस्प : फ्रॉम पॉपुलेशन बूम टू बस्ट' इस बदलाव को एक सवाल के सामने रखती है—'फ्रॉम टू मेनी टू टू फ्यू?' यानी बहुत अधिक से बहुत कम की ओर? यही सवाल भारत के लिए भी अब महत्वपूर्ण हो जाता है।

घटती प्रजनन दर के पीछे जिन सामाजिक बदलावों की भूमिका है, उन्हें समझना और उनके अनुरूप परिवार तथा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव करना जरूरी है। बच्चों का जन्म और पालन-पोषण केवल महिलाओं की जिम्मेदारी मानने वाली सोच को बदलना होगा। वरना आने वाले समय में वृद्ध होती आबादी का एक बड़ा वर्ग हमारे सामने होगा, जिसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए पर्याप्त कार्यशील आबादी नहीं होगी। यह स्थिति किसी भी देश के लिए बेहतर नहीं होगी।

चुनाव आयोग की जवाबदेही

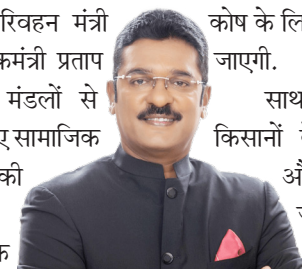
हाल के वर्षों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर देश का विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। हालांकि, चुनाव हारने पर विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला पुराना है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत का चुनाव आयोग विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहा है। जिसकी तपिश भारतीय लोकतंत्र की साख पर भी पड़ती है। निस्संदेह, चुनाव आयोग का दायित्व लोकतंत्र में पारदर्शी चुनाव कराना और नागरिकों के वोट देने के महत्वपूर्ण अधिकार की रक्षा करना होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को विवादित 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' यानी एसआईआर से जुड़ी विसंगतियों ने भारी ठेस पहुंचायी है। हाल ही में दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार की पड़ताल में पता चला है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अक्तूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कम से कम चौदह बार उन फैसलों पर आपत्ति जताई, जो उनकी जानकारी में लाए बगैर लिये गए थे। सूत्रों के मुताबिक इन दो चुनाव आयुक्तों की चिंताओं में फॉर्म-6 में बदलाव, वोटर लिस्ट डेटाबेस का सेंट्रलाइजेशन, फील्ड अधिकारियों की इस तक सीमित पहुंच और वोटरों के नाम हटाने की प्रक्रिया शामिल थी। निस्संदेह, इस प्रकरण से मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति असहज हो गई है। इसके बाद अक्सर चुनाव आयोग पर हमलावर रहा, कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष और ज्यादा हमलावर हो गया है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग कर रहा है। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया का संचालन करने वाली संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों के बीच उजागर हुए इस मतभेद को प्रशासनिक छोटी-मोटी बात कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये प्रकरण चुनाव की विश्वसनीयता और जवाबदेही के मूल मुद्दे से जुड़ा है। वोटर रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिये बने फॉर्म-6 में, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स-1960 में कानूनी रूप से सही तरीके से संशोधन किए बिना बदलाव कर दिए गए। इन बदलावों के चलते नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

विडंबना यह है कि जो फॉर्म-6 वोटर रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिये बना था, उसे बेहद जटिल बना दिया गया। जिसमें यह जानकारी देनी अनिवार्य कर दी गई कि क्या वोटर के माता-पिता का नाम पिछली एसआईआर सूची में शामिल था। उल्लेखनीय है कि एसआईआर की जटिलता को महसूस करते हुए पिछले बार की प्रक्रिया की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने निभायी थी। लेकिन इस बार यह जवाबदेही वोटरों के सिर पर डाल दी गई। एक सामान्य मतदाता कैसे याद रखे कि करीब चौथाई सदी पहले उसने या उसके माता-पिता ने किस बूथ पर वोट डाला था। इस संबंध में जानकारी जुटाने के लिये लोग दर-दर की ठोकरें खाते रहे हैं। इस जानकारी से मैपिंग न हो पाने के कारण पूरे देश में करोड़ों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए। पश्चिम बंगाल में, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाने पर नागरिकों व विपक्ष ने कड़ा प्रतिरोध किया। अब तक तय की गई दस में से नौ अपीलों में वोट बहाल होने की रिपोर्ट से पता चलता है कि विसंगतियों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था। इस समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया की कछुआ चाल का पता इस बात से चलता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल को बंगाल में लंबित 37 लाख अपीलों का निस्तारण करने में करीब बारह साल लग सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र के हित में जरूरी है कि चुनाव आयोग को गोपनीयता का पर्दा अविलंब हटाना चाहिए। उसे संबंधित रिकॉर्ड प्रकाशित करने चाहिए। सही मायने में चुनाव आयोग को अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पारदर्शी तरीके से बताना चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग को अपने आयुक्तों द्वारा उठाये गए हर अहम सवाल का जवाब भी देना चाहिए। चुनाव आयोग का नैतिक दायित्व है कि वह सरकार के बजाय नागरिकों के हितों के प्रति जवाबदेह हो। आयोग का फर्ज है कि वह स्पष्ट जवाब देश के नागरिकों को दे। साथ ही हर भारतीय को एक ऐसा चुनावी सिस्टम दे, जो समावेशी और नागरिकों की सुविधा के अनुकूल हो।

कारशेड की रद्द जमीन को इंडस्ट्रियल जोन में बदलने का करेंगे प्रयास बाहर गए उद्योगों को वापस लाने की कवायद

भाईंदर : भाईंदर पश्चिम में मेट्रो कारशेड के लिए प्रस्तावित और अब रद्द किए गए करीब 100 एकड़ सरकारी भूखंड पर इंडस्ट्रियल जोन विकसित करने की मांग सरकार से की जाएगी. मीरा-भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के 34वें वार्षिक सम्मेलन में विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि पहले भूखंड का निरीक्षण कर उसकी स्थिति देखी जाएगी कि जमीन समतल है या ऊबड़-खाबड़. इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास में विश्वास करती है और प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है. मेहता ने कहा कि सेस, ऑक्ट्रॉय और एलबीटी के कारण मीरा-भाईंदर से कई उद्योग दूसरे क्षेत्रों में चले गए. हमारी सरकार आते ही एलबीटी को रद्द कर दिया. अब स्थानांतरित उद्योगों को वापस लाने के प्रयास करें. उन्होंने उद्यमियों से उनकी समस्याएं लिखित रूप में देने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगने वाली जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया. कांग्रेस नगरसेवक अनिल सावंत और एसोसिएशन अध्यक्ष मो. उमर कपूर (पप्पू) ने ग्राम पंचायत काल में बने कारखानों की ऊंचाई सड़क से कम हो जाने का मुद्दा उठाया. बारिश में पानी भरने से होने वाले आर्थिक नुकसान को देखते हुए पुराने कारखानों की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति के लिए मनपा स्तर पर नीति बनाने की मांग की गई. मेहता ने कहा कि नीति बनाने का अधिकार राज्य सरकार और अनुमति देने का अधिकार मनपा आयुक्त के पास है. व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने उद्यमियों को सहयोग का आश्वासन दिया. सम्मेलन में ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डीन विनीत कुमार जयप्रकाश डोंगरे ने नई तकनीक अपनाने और आपसी सहयोग से कारोबार बढ़ाने पर जोर दिया. अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के मार्केटिंग हेड संतोष नारखेडे ने सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने की अपील की. सम्मेलन में महासचिव शिल्पेश शाह, कोषाध्यक्ष रमेश आसर आदि ने योगदान दिया.

नवरात्रि की आस्था के साथ अन्नदाताओं का साथ दें : सरनाईक



मीरा- भाईंदर, महाराष्ट्र के 265 तालुकों में सूखे जैसे हालात घोषित किए जाने के बीच परिवहन मंत्री एवं धाराशिव के पालकमंत्री प्रताप सरनाईक ने नवरात्रि मंडलों से किसानों की मदद के लिए सामाजिक पहल करने की अपील की है.

उन्होंने कहा कि त्योहार उत्साह से मनाएं, लेकिन संकट में फंसे अन्नदाताओं के प्रति संवेदनशीलता भी दिखाएं. सरनाईक ने मीरा भाईंदर के नवरात्रि मंडलों से अपील की है कि उत्सव के साथ सामाजिक गतिविधियों को भी जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि प्रताप सरनाईक फाउंडेशन और जीएम नवरात्रि फेस्टिवल के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दान देने की अपील की जाएगी.

साथ ही सूखा प्रभावित किसानों के लिए अनाज, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री जुटाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसान समाज के अन्नदाता हैं, इसलिए उनके कठिन समय में समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए. नवरात्रि केवल उत्सव तक सीमित न रहकर सामाजिक प्रतिबद्धता और मदद का संदेश भी दे, यही इस पहल का उद्देश्य है.

मीरा-भाईंदर में 22441 प्रतिमाएं विसर्जित हुईं

मीरा-भाईंदर,महानगरपालिका क्षेत्र में इस वर्ष गणेशोत्सव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ. मनपा क्षेत्र में कुल 22,441 गणेश और गौरी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया. इनमें 6,395 शाडू मिट्टी और 15,817 पीओपी की प्रतिमाएं शामिल हैं. इसके अलावा 6 फीट से अधिक ऊंचाई वाली 229 बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया. आंकड़ों से साफ है कि श्रद्धालुओं का रुझान अब पर्यावरणपूरक शाडू मिट्टी की मूर्तियों की ओर तेजी से बढ़ रहा है. मनपा आयुक्त राधाबिनोद ए. शर्मा ने जैसल पार्क चौपाटी और भाईंदर पश्चिम जेट्टी का दौरा कर विसर्जन व्यवस्था का निरीक्षण किया. विधायक नरेंद्र मेहता, महापौर डिंपल विनोद मेहता और उपमहापौर ध्रुवकिशोर मंसाराम पाटिल के साथ उन्होंने प्रतिमाओं पर पुष्पवर्षा की. इस दौरान उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर, शहर अभियंता दीपक खांबित सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. आयुक्त ने सभी नागरिकों, मंडलों और एजेंसियों के सराहनीय सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया.



वसावे ब्रिज बना 'सुसाइड पॉइंट'!

चेतावनी के बावजूद सुरक्षा ; जाली न लगाने पर एनएचएआई को पुलिस का अल्टीमेटम

भायंदर : मुंबई-अमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएचः ४८) पर स्थित वसवि के पुलों पर लगातार हो रही आत्महत्या की घटनाओं और हादसों को लेकर मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय ने आखिरकार कड़ा रुख अपनाते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ठाणे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुहास चिटणीस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

काशीमीरा ट्रैफिक विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त सतीश शिवरकर द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस में साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि यदि पुल पर सुरक्षा इंतजाम न होने से कोई भी नई दुर्घटना या आत्महत्या होती है, तो उसके लिए एनएचएआई के अधिकारी सीधे तौर पर को एक बेहद सख्त कानूनी नोटिस जारी किया है। पुलिस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि पुल पर सुरक्षा इंतजाम न होने से कोई भी नई दुर्घटना या आत्महत्या होती है, तो उसके लिए



एनएचएआई के अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ सह-आरोपी के रूप में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। जिम्मेतार होंगे और उनके खिलाफ सहआरोपी के रूप में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ठाणे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चिटणीस सुहास को एक बेहद सख्त कानूनी नोटिस जारी किया है। पुलिस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि पुल पर सुरक्षा इंतजाम न होने से कोई भी नई दुर्घटना या आत्महत्या होती है, तो उसके लिए एनएचएआई के अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ सह-आरोपी के रूप में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है

लापरवाही पर पुलिस का अल्टीमेटम

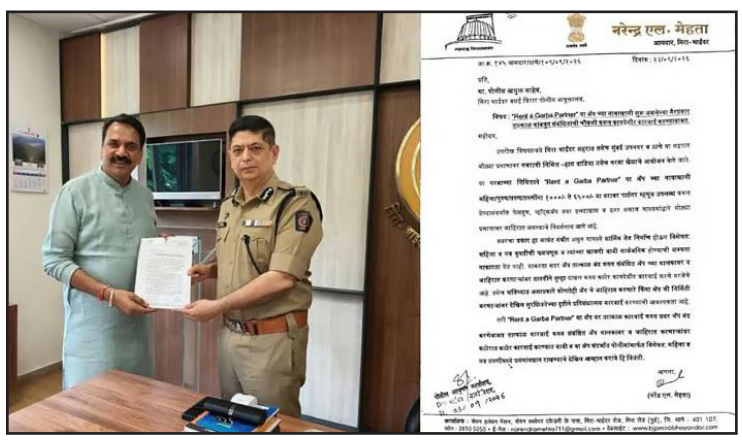
वसवि पुलों पर लगातार हादसों और आत्महत्या की घटनाओं के बीच पुलिस ने एनएचएआई को कड़ी चेताव है। सुरक्षा जाली नहीं लगाने पर भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना या आत्महत्या के मामले संबंधित अधिकारियों को सह-आरोपी बनाने में कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक से मिले भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता

'रेंट ए गरबा पार्टनर' ऐप पर लगाएं रोक

मीरा-भाईंदर, (सं.) नवरात्रि के दौरान गरबा और रास-डांडिया आयोजनों के बीच सोशल मीडिया पर 'रेंट ए गरबा पार्टनर' ऐप के नाम से चल रहे विज्ञापनों को लेकर भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने चिंता जताई है. उन्होंने पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और इस मामले की जांच तथा संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की.

मेहता के अनुसार, फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं, पुरुषों और युवाओं को 1,000 से 6,500 रुपये तक की दर पर गरबा पार्टनर उपलब्ध कराने के दावे वाले विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं. उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए ऐप को तत्काल बंद कराने तथा इसके संचालकों और विज्ञापनदाताओं की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की.



मेहता ने कहा कि ऐसे मामलों में महिलाओं और युवतियों के साथ धोखाधड़ी तथा उनकी निजी जानकारी के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए पुलिस को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. साथ ही, उन्होंने भविष्य में इस तरह के ऐप और उनके प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया.

मनपा आयुक्त ने नवनियुक्त शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र रोजगार महाकुंभ का आयोजन

मीरा रोड : मीरा-भाईंदर महानगरपालिका की ओर से रामदेव पार्क स्थित बुद्ध विहार में 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया गया. इसका उद्देश्य युवाओं को योग्यता के अनुरूप रोजगार अवसर उपलब्ध कराना था. रोजगार मेले का उद्घाटन मनपा आयुक्त राधाबिनोद ए. शर्मा ने किया. इस दौरान उन्होंने युवाओं से संवाद कर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध नौकरियों और करियर विकल्पों की जानकारी लेने का आह्वान किया. कार्यक्रम के दौरान मीरा-भाईंदर मनपा के माध्यमिक विभाग में चयनित शिक्षकों को आयुक्त शर्मा ने नियुक्ति पत्र वितरित किए. इनमें भाषा, गणित-विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और खेल विषयों के शिक्षक शामिल रहे.

उत्तन पुलिस ने नाकाबंदी में पकड़ा शातिर आरोपी, दो पिस्तौल और कार जब्त

मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के डिविजन-1 अंतर्गत उत्तन सागरी पुलिस स्टेशन की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से दो देशी पिस्तौल, मैगजीन और एक लक्जरी कार बरामद की गई। पुलिस ने कार, पिस्तौल सहित कुल 20.50 लाख रुपये का सामान जब्त किया है।

पुलिस के अनुसार, 23 सितंबर 2026 को आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में उत्तन सागरी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र मार्कड और क्राइम पुलिस इंस्पेक्टर मिलिंद साबले अपनी टीम के कमलाकर चासकर, छोटू साबले, संतोष सानप, नीलकंठ जयभाये आदि के साथ क्षेत्र के डोंगरी कोस्टल चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर रहे थे।

नाकाबंदी के दौरान कार क्रमांक MH-02-MN-3125 संदिग्ध परिस्थितियों में दिखाई दी। पुलिस ने कार को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से मैगजीन के साथ दो देशी पिस्तौल बरामद हुईं। इसके बाद चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पूछताछ में चालक ने अपना नाम संजय सुरेंद्र सिंह, उम्र 36 वर्ष, एस्टेट एजेंट, दहिसर ईस्ट, मुंबई निवासी बताया। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला गाज़ीपुर का निवासी है। पुलिस आरोपी को पकड़कर उत्तन सागरी पुलिस स्टेशन लेकर आई, जहां उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

आरोपी संजय सुरेंद्र सिंह उम्र 36 के विरुद्ध बीएनएस कलम, इंडियन आर्म्स एक्ट, 1959 के सेक्शन 3, 25 (1) (a) और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के सेक्शन 37(1) और 135 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह जानकारी हासिल कर रही है कि आरोपी पिस्तौल कहां से लाया था और इन्हें किसे बेचने वाला था। नाकाबंदी के दौरान हुई इस कार्रवाई में दो देशी पिस्तौल और लक्जरी कार सहित 20.50 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया है।

सांस्कृतिक समिती सभापती स्नेहा शैलेश पांडे का उत्तन से चेना तक श्री गणपती विसर्जन घाटों व व्यवस्था का निरीक्षण किया

मीरा भाईंदर महानगरपालिका की सांस्कृतिक समिती सभापती सौ स्नेहा शैलेश पांडे ने महाराष्ट्र राज्य के राज्य उत्सव श्री गणेशोत्सव में श्री गणपती बप्पा के विसर्जन घाटों, कृतीम तालाबों व समस्त विसर्जन व्यवस्था का व्यक्तिगत उत्तन, मोरवा, राई, मूर्धा नेताजी सुभाष चंद्र मैदान, मांडवी तालाब, भाईंदर पश्चिम कृतीम तालाब,भाईंदर पश्चिम खाड़ी, जेसल पार्क चौपाटी कृतीम तालाब व खाड़ी, नवघर तालाब, गोडदेव तालाब, स्वर्गीय प्रमोद महाजन स्वीमिंग पूल कृतीम तालाब, शिवार गार्डन स्वीमिंग पूल कृतीम तालाब , पेंनकरपाडा तालाब, काशीमीरा जरीमरी तालाब, घोडबंदर, रेतीबंदर कृतीम तालाब व खाड़ी, चेना गाव कृतीम तालाब व चेना नदी विसर्जन घाटों पर व्यक्तिगत रूप से डेढ़ दिन, तीन दिन, पाच दिन, गौरी गणपती विसर्जन दिन, सातवे दिन और बारहवें दिन के विसर्जन पर सभी स्थानों की विसर्जन व्यवस्था का सूक्ष्म निरीक्षण किया।

सभी स्थानों पर जबाबदार कार्यरत मीराभाईंदर महानगरपालिका के बांधकाम आरोग्य, अग्निशामक, सुरक्षा, वनविभाग व अन्य विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ,पुलिस प्रशासन से भेट किया ,जानकारी ली, अपने सुझाव भी दिये।

सांस्कृतिक सभापती सौ स्नेहा शैलेश पांडे ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अत्यंत सुंदर व्यवस्था की गई, श्री गणपती बाप्पा के भक्तों की आस्था, सेवा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देकर विसर्जन को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराया गया।

विसर्जन को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने हेतु स्नेहा पांडे ने विधायक नरेंद्र मेहता, महापौर डिंपल मेहता, उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील, आयुक्त राधाविनोद शर्मा स्थायी समिती सभापती हसमुख गहलोत व मीराभाईंदर महानगरपालिका के बांधकाम आरोग्य, अग्निशामक, सुरक्षा, वनविभाग व अन्य विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ,पुलिस प्रशासन ,सामाजिक संस्थाओं, कार्यकर्ताओं, गणपती मंडलों उनके कार्यकर्ताओ तथा सभी गणेश भक्तों का आभार व्यक्त किया। साथ ही गणपती बप्पा सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें ऐसी प्रार्थना की और गणेशोत्सव को महाराष्ट्र राज्य का राज्य उत्सव घोषित करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस जी का विशेष आभार सांस्कृतिक सभापती सौ स्नेहा शैलेश पांडे ने व्यक्त किया।





बिल्डिंग के ओसी विवाद पर गरमाई राजनीति, बिल्डर-नेता आमने-सामने

MLA पर 10% हिस्सेदारी का आरोप

भाईंदर : भाईंदर पूर्व के बी.पी. रोड स्थित संध्या गुप्ता बिल्डिंग के पुनर्विकसित 'दामोदर टावर' के अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में विवाद गहरा गया है. बिल्डर देवराम मंडेरा ने भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता पर ओसी जारी कराने के एवज में बिल्डिंग में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी और महापौर के पति विनोद मेहता पर एक फ्लैट मांगने का गंभीर आरोप लगाया है. बिल्डर द्वारा कथित बातचीत का ऑडियो पुलिस को सौंपे जाने और इसके सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया है. बता दें कि खारीगांव बीपी रोड स्थित इस 12 मंजिला टावर के निर्माण के बाद बिल्डर ने मनपा से ओसी की मांग की थी, जिसे रोक दिया गया.

सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल

डेवलपर का आरोप है कि यह रोक विधायक नरेंद्र मेहता के हस्तक्षेप के कारण लगाई गई है. इस बीच, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने नगर रचना विभाग में बैठक कर पुलिस को ऑडियो रिकॉर्डिंग और शिकायत की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं. बैठक में मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, संबंधित अधिकारी और शिकायतकर्ता बिल्डर मौजूद थे.

दूसरी ओर, विधायक नरेंद्र मेहता ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बिल्डर देवराम मंडेरा को 'हार्डकोर चीटर' बताया है. मेहता का कहना है कि वायरल ऑडियो अधूरा और दो साल पुराना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित बिल्डर ने निवासियों को विश्वास में लिए बिना फ्लैटों की आपसी बिक्री की थी, जिसके खिलाफ अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था. विधायक मेहता ने कहा कि बिल्डिंग के पुराने 95 रहवासियों के हितों की रक्षा और उनके हक के फ्लैट सुनिश्चित करने के लिए ओसी रोकना जनहित में आवश्यक था. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि मंत्री के दबाव में बिल्डर को ओसी दिया जाता है, तो मूल निवासी अपने ही घरों से बेघर हो जाएंगे.

मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और झूठे आरोपों के जरिए उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है. भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोप राजनीतिक रूप से बदनाम करने की साजिश है.

- नरेंद्र मेहता, भाजपा विधायक

जांच व कार्रवाई की मांग

मेहता ने बिल्डर मंडोरा के खिलाफ की शिकायत दामोदर टॉवर विवाद में नया मोड़

भाईंदर : भाईंदर पूर्व के बीपी रोड स्थित दामोदर टॉवर विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है. भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता के भाई विनोद मेहता ने बिल्डर देवाराम मंडोरा के खिलाफ नवघर रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. मेहता ने आरोप लगाया है कि मंडोरा ने जानबूझकर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रसारित की, जिसमें उनके और उनके भाई के खिलाफ कथित तौर पर झूठे, बेबुनियाद और मानहानिकारक आरोप लगाए गए हैं. शिकायत में मेहता ने ऑडियो की सत्यता और उसे प्रसारित करने के पीछे की परिस्थितियों की जांच कर कार्रवाई की मांग की है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मंडोरा के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं. हाल में करीब एक करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात भी सामने आई है.

पूरे ऑडियो से सामने आएगा तथ्य

मामले में अब पुलिस ऑडियो की प्रामाणिकता, पूरी बातचीत, उसके संदर्भ और रिकॉर्डिंग के प्रसारण की परिस्थितियों की पड़ताल कर सकती है. दामोदर टॉवर को लेकर मंडोरा की ओर से लगाए गए आरोपों के जवाब में विनोद मेहता की शिकायत के बाद विवाद नया मोड़ ले चुका है.

पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश

ड्यूटी पर किए तंबाकू-शराब का सेवन करेंगे तो होगी कारवाई

भाईंदर : मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय ने ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा तंबाकू, गुटखा, मावा, खार सहित अन्य तंबाकू उत्पादों तथा शराब के सेवन पर प्रतिबंध के निर्देश जारी किए हैं. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं विशेष शाखा) संजय कुमार पाटिल ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि तंबाकू और उसके उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं तथा गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं. ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी पुलिस बल का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का व्यवहार विभागीय अनुशासन के अनुरूप नहीं है. निर्देशों के अनुसार पुलिस स्टेशन, सरकारी कार्यालय, सरकारी वाहन या ड्यूटी स्थल पर तंबाकू, गुटखा, मावा, खार, अन्य तंबाकू उत्पादों या शराब का सेवन नहीं किया जा सकेगा. सभी प्रभारी अधिकारियों को अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.



वेतन वृद्धि न होने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी हड़ताल के कारण 16 घंटे थमी बसें

भाईंदर : लंबित मांगों को लेकर मीरा-भाईंदर मनपा परिवहन सेवा के कर्मचारियों की हड़ताल से रविवार रात 12 बजे से सोमवार शाम 4 बजे तक करीब 16 घंटे बस सेवा ठप रही. राष्ट्रीय कामगार यूनियन के मीरा-भाईंदर मनपा यूनिट सचिव तुलसीदास इंगोले ने आरोप लगाया कि मनपा प्रशासन ने बिना ठोस या लिखित आश्वासन के पुलिस की मदद से हड़ताल जबरन समाप्त कराई.



पिछले 11 वर्षों से वेतन वृद्धि नहीं मिलीः कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 11 वर्षों से वेतन वृद्धि नहीं मिली है. पिछली बैठक में प्रशासन ने बताया कि वर्ष 2025 के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित सरकारी निर्णय मिलने के बाद नियमानुसार वेतन वृद्धि पर फैसला लिया जाएगा. कर्मचारियों ने सवाल उठाया कि सरकारी निर्णय कब आएगा और वेतन वृद्धि कब लागू होगी, इसकी कोई समयसीमा नहीं बताई गई है. बढ़ती महंगाई, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू खर्च के बीच बिना वेतन वृद्धि के काम करना मुश्किल हो रहा है. हड़ताल का असर मीरा-भाईंदर के शहरी क्षेत्र के अलावा भाईंदर पश्चिम के उत्तन-गोराई आदि ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक पड़ा. बस सेवा बंद रहने से विद्यार्थियों, कामकाजी महिला-पुरुषों और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. मुख्य शहर से दूर इन इलाकों में मनपा बसों के अलावा ऑटो ही प्रमुख विकल्प हैं.

परिवहन कर्मचारियों के हितों को 66 सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जीआर जल्द से जल्द लागू कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखूंगा. लेबर कमिश्नर के समक्ष लंबित मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई है. कर्मचारियों के न्याय के लिए हरसंभव प्रयास जारी है.

एड. राजकुमार मिश्रा, सभापति, एमबीएमटी

यह हिंदी पाक्षिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक संजय डी. राय द्वारा ओम साई प्रिंटर्स, न्यू जय अम्बे एस्टेट, यूनिट नं. 7, ओल्ड सिंडिकेट बैंक के सामने, एचपी गैस गोडाऊन के पीछे, गोडदेव फाटक रोड, भाईदर (पूर्व) - 401 105 से मुद्रित कर 116 डी विंग, तुलसी छाया बिल्डिंग, नवघर क्रॉस तलाव रोड, भाईदर (पूर्व), जिला ठाणे 401 105 (महाराष्ट्र) यहां से प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधिन होगा। संपादक : संजय डी. राय, मोबाइल- 9967935711 / email: bhayandersun@gmail.com